

अध्याय - VIII जिला योजना समिति

91. प्रशासक जिला के लिए उपायुक्त की अध्यक्षता में एक जिला योजना समिति जिला योजना गठन करेगा जिसका संघटक निर्धारित अनुसार होगा और द्वीप परिषदों के चीफ समिति का गठन कैप्टन जिला योजना समिति के पदेन सदस्य होंगे ।

92. जिला परिषद समिति अपने क्षेत्राधिकार के अधीन उस क्षेत्र के विकास के लिए जिला योजना जिला के सरकारी विभागों तथा अन्य एजेंसियों की सहायता से पंचवर्षीय योजना समिति तथा वार्षिक योजना तैयार करेगी । जिला योजना समिति के अध्यक्ष समिति की अनुसरण द्वारा सिफारिश से जिला के विकास योजना को सचिव, जनजातीय कल्याण के पास किए जाने वाली पद्धति भेजेगा ।

93. जिला योजना समिति विहित अनुसार ऐसी प्रक्रिया का पालन करेगी ।

अध्याय - IX निर्वाचन आयोग तथा वित्त आयोग

94. (1) "अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के संघ राज्य क्षेत्र में मतदाता सूची निर्वाचन आयोग तैयार करने में निगरानी, निर्देशन तथा नियंत्रण के लिए और ग्राम परिषदों एवं द्वीप परिषदों के सभी निर्वाचन कराने के लिए अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह (पंचायत) विनियम, 1994 की धारा 185 के तहत चुनाव आयुक्त नियुक्त किया जाएगा और इस धारा के तहत नियुक्त चुनाव आयुक्त को इस विनियम के उद्देश्य के लिए चुनाव आयुक्त समझा जाएगा ।"

(2) प्रशासक को उप-धारा (1) के तहत चुनाव आयुक्त को सौंपे गए कार्यों का निर्वहन के लिए यदि आवश्यक हो तो चुनाव आयुक्त को ऐसे कर्मचारियों को उपलब्ध कराना होगा ।

95. (1) अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह (पंचायत) विनियम 1994 की धारा 186 के तहत गठित ग्राम परिषदों तथा द्वीप परिषदों के वित्तीय स्थिति की समीक्षा करेगा और निम्नलिखित अनुसार भारत के राष्ट्रपति से सिफारिश करेगा :-

(क) सिद्धांत जिसे शासित करना होगा ।

(i) कर, शुल्क, चुँगी तथा फीस का निर्धारण जिसे परिषदों द्वारा सौंपा अथवा विनियुक्त किया जा सकता है ।

(ii) भारतीय समेकित निधि से परिषदों को अनुदान सहायता ।

(ख) परिषदों के वित्तीय स्थिति को सुधारने के आवश्यक उपाय ।

(ग) परिषद की बेहतर वित्तीय स्थिति के लिए राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग को संदर्भित कोई अन्य मामले ।

अध्याय - X विविध

96. (1) यदि किसी ग्रामीण परिषद या द्वीप परिषद के किसी सदस्य या संबंधित निर्वाचन याचिका कैप्टन के किसी चुनाव वैधता पर चुनाव में वोट प्राप्त किए किसी व्यक्ति द्वारा प्रश्न उठाने पर वह व्यक्ति चुनाव परिणाम के घोषित करने की तिथि से पंद्रह दिनों के भीतर किसी भी समय ऐसे प्रश्न के लिए नियत किए गए निर्धारित फार्म में जिला न्यायाधीश के पास आवेदन कर सकता है ।

(2) प्रत्येक याचिका को जैसा भी संभव हो जल्द से जल्द निपटाने की कोशिश की जाएगी और प्रयास यही किया जाएगा कि जिला न्यायाधीश के पास प्रस्तुत की गई तिथि से छह माह के भीतर मुकदमा को समाप्त किया जाए ।